न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....जयकरण.....बनाम .....राजपाल.....

किस्म मुकदमा .....~~[illegible]~~ 222 RTA..... मु. नं०.....01.....वर्ष.....2023.....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.05.2023	अपील धारा-5 पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज की जावे। स्थान पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी तिथि तक उभयपक्ष को विवादित भूमि खसरा नं. 1145, 1146, 1172, 1174, 1175, 1135/405, 1736/484, 1742/1175, 485, 487, 506, 507, 511 व 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1226, 1231, 512 नया खसरा नं. 1771/1174, 1700/1766, 1704/1767, 705/1769, 1708/512, 173/1736, 487, 507, 1148, 1735/405, ~~1742~~ 1742/1175, 1768/1172, 1774/1736, 1776/1145, 1777/1145, 1779/1175, 1707/506, 511, 1146, 1171, 1770/1174, 1701/1766, 1703/1769, 1704/1769, 1709/512 वाले आर.सी.पल 22. ग्राम जिला-झुन्झुनूं की नकल व रिकार्ड की प्रमाणित बनाकर रखने के लिए पाबंद किया जाता है रेलवे के रिकार्ड की प्रति भी रख कर रिकार्ड रजिस्टर दो पत्रावली वापस रखनी दिनांक 10.7.2023 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
9.6.2023.	वकील अपीलांट ने पिसल तलबी प्रार्थना पत्र पेश किया। अतः पत्रावली आज तारिख पेशी में ली गई। त्रावली पेश। वकील अपीलाट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।	NOTE PRESS